APP-A
crim-I

2017/00980

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

सहायक कलेक्टर, (S.D.O.) बालोतरा

अज अदालत ..... नियम .....

चतुराराम बनाम बीरमाराम

किस्म मुकदमा 212 रा.टी.ए.ए. नं. 524 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/17	प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री ने अन्तर्गत धारा आर.टी.ए.का पेश किया। जिस पर कार्यालय रिर्पोट प्राप्त की, कार्यालय रिर्पोट का अवलोकन किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो विप्रार्थीगण को वाद पत्र के समनस मय प्रार्थना पत्र की प्रति के, जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/,जवाबदावा तारीख 31/1/18 को पेश हो सहायक कलेक्टर, (S.D.O.) बालोतरा	
1-6-18	प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किया गया। मामले में पक्षकार उपस्थित मूल वाद सं. 227/17 चतुराराम बनाम बिरमाराम से आज दिनांक 1-6-2018 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी है मूल वाद में स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने से प्रार्थी पत्रावली चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर मौसल होकर दाखिल दफ्तर हो। विधिवत तुलना गया। (भागीरथ राम) नोडालीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प..	चतुराराम बिरमाराम

Scanned by CamScanner